ए.

मलारविजी और ओआरएस।

वी.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील संख्या 9196-97)

बी.

09 दिसंबर, 2019

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और ऋषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-मोटर दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई-अपीलार्थीगण (उनकी पत्नी और चार बेटियां) द्वारा जीवित-अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि मृतक ने व्यवसाय, कृषि भूमि सहित कई स्रोतों से आय प्राप्त की, जिसमें 36.76 एकड़ (उनकी मृत्यु के बाद वसूली की कार्यवाही में बेचा गया) और सीमेंट का थोक विक्रेता भी था और शराब की दुकानों का मालिक था-<ID3,90,000/- की राशि में मुआवजा मांगा-न्यायाधिकरण ने <ID4,4,000/- की राशि में दावे को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मंजूरी दी।-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर <ID5,55,000/- कर दिया।न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के आधार पर 36.76 एकड़ भूमि से उत्पन्न होने वाली कृषि आय का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़कर दो अलग-अलग आंकड़ों पर पहुंचा और औसतन दो राशियों के आधार पर कृषि आय का निर्धारण किया-इसने कृषि भूमि से आय के आयकर विवरण में स्पष्ट संकेत के बावजूद कृषि भूमि से आय का एक संभावित मूल्य अधिरोपित किया-ऐसी विधि कानून में टिकाऊ नहीं है-निर्धारण आयकर विवरण के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, जहां उपलब्ध हो, एक वैधानिक दस्तावेज जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए निर्भरता रखी जा सकती है-अपीलार्थीगण के लाभ के लिए, उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आयकर विवरण के आधार पर कार्रवाई की, न कि 1999-2000 और 2000-01 के आधार पर। 1,04,987-तमिलनाडु सरकार को पूर्व भुगतान लाइसेंस शुल्क के लिए भुगतान का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और भविष्य की अवधि के लिए मृतक की वार्षिक आय में जोड़ा जाता है-इस प्रकार, मृतक की शुद्ध

वार्षिक आय रु. 3,16,118 है-सरला वर्मा मामले के अनुसार, आवेदन किया गया गुणक 13 है, दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 49 है-नुकसान

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1086 ए.

1087

मलारविज़ी बनाम संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड ए

प्राणय सेठी के मामले के अनुसार, अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के लिए क्रमशः 50,000,15,000 और 40,000 रुपये जोड़े गए-प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए-इस प्रकार, अपीलार्थीगण को देय कुल मुआवजा <ID4,29,534/- है, जिसमें आवेदन दायर करने की तारीख से अपीलार्थीगण के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज है।

बी.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई विधि कानून में टिकाऊ नहीं है।कर विवरणी संबंधित निर्धारण वर्ष में रुपये **2,11,131** की वार्षिक आय को दर्शाती है।निर्धारण आयकर विवरणी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए**,** जहां उपलब्ध हो।आयकर विवरणी एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए निर्भरता रखी जा सकती है।अपीलार्थीगण के लाभ के लिए**,** उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष **1997-1998** के लिए आयकर विवरणी के आधार पर कार्रवाई की है न कि **1999-2000** और **2000-2001** जो मृतक की वार्षिक आय में कमी को दर्शाता है।मूल्यह्रास वह कटौती है जिसकी अनुमति मूर्त या अमूर्त परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में उनके उपयोगी जीवनकाल में गिरावट के लिए दी जाती है।इसका मूल्य समय के साथ बदलता रहता है और एम**.** ए**.** सी**.** टी**.** के समक्ष दावे में वार्षिक आय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए मूर्त आय नहीं हो सकती है। तमिलनाडु सरकार को पूर्व-भुगतान लाइसेंस शुल्क के भुगतान के रूप में रुपये

1,04,987 की वार्षिक राशि दिखाई देती है।मामले की विषम परिस्थितियों में, इस राशि का अग्रिम भुगतान किया गया है और भविष्य की अवधि के लिए मृतक की वार्षिक आय में जोड़ा जाना है।इस प्रकार, मृतक की शुद्ध वार्षिक आय हैःरुपये **2,11,131 + 1,04,987 =** रुपये **3,16,118**।**[**अनुच्छेद **10,12** और **13] [1091-**जी**; 1092-**ए**-**सी**; 1093-**बी**-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2 अपीलार्थीगण को देय राशि का निर्धारण इस प्रकार हैः**(i)** मृतक स्व**-**नियोजित था और दुर्घटना के समय उसकी आयु **49** वर्ष थी।नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं के लिए वार्षिक आय का **25** प्रतिशत जोड़ा जाना है।**25%** रुपये का **3,16,118 = 79,029.5**।वार्षिक आय, भविष्य की संभावनाओं के लिए लेखांकन, रुपये **3,16,118 + 79,029.5 = 3,95,147.5** है**;** और **(ii)** सरला वर्मा बनाम दिल्ली मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ **30** के अनुसार

जी.

एच.

परिवहन निगम **4,** एक विवाहित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती जहां आश्रित चार से छह लोगों के बीच हैं**, 1/5** वा **20** प्रतिशत है।**20% 3, 95** रुपये में से**, 147.5 = 79,029.5**।शुद्ध वार्षिक आय **3,95** रुपये**, 147.5-79,029.5 = 3,16,118** है।सरला वर्मा मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार, जब मृतक की आयु **46** से **50** वर्ष के बीच हो तो लागू होने वाला गुणक **13** है।निर्भरता के नुकसान की गणना रुपये **3,16,118 x 13 =** रुपये **41,09,534** पर की जाती है।प्रणय सेठी में इस अदालत के फैसले के अनुसार, अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के लिए क्रमशः **15,000,15,000** और **40,000** रुपये जोड़े जाने चाहिए। अपीलार्थीगण को देय कुल मुआवजा रुपये **42,29,534** है, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख से अपीलार्थीगण को मुआवजे के भुगतान की तारीख तक **9** प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज है।**[**पारस **14,16] [1093-**डी**-**जी**; 1094-**ए**-**ई**]**

बी.

सी.

सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम **(2009) 6**

डी.

एससीसी **121:[2009] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1098-**अनुसरण किया गया।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

(2017) 16 एस**.** सी**.** सी**. 680-**पर निर्भर था।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम योगेश देवी **(2012)**

3 एस**.** सी**.** सी**. 613-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

ई.

(2012) 3 एस**.** सी**.** सी**. 613**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

(2017) 16 एससीसी **680**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

एफ.

[2009] 5 एससीआर **1098**

पीछा किया।

पैरा **14**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9196-9197।

2013 की सिविल विविध अपील संख्या 1635 और 2018 की प्रति-आपत्ति संख्या 1 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

जी.

जयंत मुथ राज, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती मालविका जयंत, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

रवि बख्शी, सुधीर माथुर, सुश्री सायमा फिरोज, शशांक कुमार, सी. एस. अशरी, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

1089

मलारविज़ी बनाम संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण 1, रानीपेट के फैसले से पहली अपील और प्रति-आपत्ति में 20 जुलाई 2018 को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है।

बी.

2. अपीलार्थीगण अरंगनाथन के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं जिनकी 25 मई 2001 को एक मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।वह पंजीकरण संख्या टी. एन. 23 ए 7549 वाली एक राजदूत कार में यात्रा कर रहे थे जिसे कोई अन्य व्यक्ति चला रहा था।लगभग 12 बजेः45 सुबह, पंजीकरण संख्या टीएन 20 जेड 1613 वाली एक टाटा सिएरा कार विपरीत दिशा से आई और मृतक की कार से टकरा गई।अरंगनाथन गंभीर रूप से घायल हो गए और दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।उनके परिवार में उनकी पत्नी और चार बेटियाँ हैं जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण हैं।

सी.

डी.

3. अपीलार्थीगण ने न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे की राशि 99,90,000 मांगी गई।11 जुलाई 2012 के अपने निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से निर्धारित राशि की प्राप्ति की तारीख तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1 करोड़ रुपये की राशि के दावे की अनुमति दी।अपीलार्थीगण ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।उच्च न्यायालय ने मृतक की आय 4,48 रुपये, 790.55 से घटकर 2,50,000 प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया।इस प्रकार दिए गए कुल मुआवजे को रुपये 59,04,000 से घटाकर रुपये 33,55,000 कर दिया गया।उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित दावेदार इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहे हैं।

ई.

एफ.

4. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 49 वर्ष थी।अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि मृतक एक व्यापारी था जिसने व्यवसाय और कृषि भूमि सहित कई स्रोतों से आय प्राप्त की थी, जो 36.76 एकड़ में फैली हुई थी।यह कहा गया था कि मृतक अन्य लोगों के अलावा सीमेंट का थोक विक्रेता था और शराब की दुकानों का मालिक भी था।मृतक की मृत्यु के बाद वसूली की कार्यवाही में जमीन बेची गई थी।

जी.

1 न्यायाधिकरण

एच.

5. न्यायाधिकरण ने मृतक की कृषि आय प्रति वर्ष 3,40,708 और व्यवसाय से कुल आय 89,590 रुपये आंकी।न्यायाधिकरण ने अचल संपत्ति और अनुबंध व्यवसाय के माध्यम से आय के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये जोड़े।मृतक की वार्षिक आय 4,60,298 रुपये आंकी गई थी। भविष्य की संभावनाओं के लिए इसमें 30 प्रतिशत जोड़ा गया, जिससे वार्षिक आय 5,98 रुपये हो गई।जीवन यापन के खर्च के लिए कुल आय के एक चौथाई हिस्से की कटौती के बाद, न्यायाधिकरण ने 13 के गुणक का उपयोग करके Rs.58,34,277 के मुआवजे पर पहुंचा।अंतिम संस्कार के खर्च, संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान सहित पारंपरिक शीर्षों के तहत नुकसान की गणना 70,000 रुपये की गई थी।कुल 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।

बी.

सी.

6. अपील में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक द्वारा वित्तीय वर्षों 1995-1996 से 2000-2001 के लिए दायर आयकर विवरणी के विश्लेषण पर, वित्तीय वर्ष 1997-1998 के लिए घोषित आय सबसे अधिक थी और इसे मृतक की वार्षिक आय के रूप में लिया जाना चाहिए।इसलिए, मृतक की वार्षिक आय रुपये 2,09,211 निर्धारित की गई थी। भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपये जोड़े गए।इस प्रकार कुल आय प्रति वर्ष 2,50,000 रुपये हो गई।व्यक्तिगत खर्चों में कोई कटौती नहीं की गई थी।13 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता के नुकसान की गणना रुपये 32,50,000 की गई थी।इसमें अंतिम संस्कार का खर्च, संघ का नुकसान और प्यार और स्नेह का नुकसान रुपये 1,05,000 की राशि में जोड़ा गया था।कुल 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।

डी.

ई.

7. मुआवजे में कमी का आरोप लगाते हुए, अपीलार्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज ने तर्क दिया हैः

एफ.

(i) उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वार्षिक आय के निर्धारण में आयकर विवरणी को अन्य दस्तावेजों पर प्राथमिकता दी जाती है।न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न स्रोतों से आय का प्रदर्शन करने वाले 52 से अधिक दस्तावेजों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से सभी का आयकर विवरणी में खुलासा नहीं किया गया था।

जी.

((ii) उच्च न्यायालय ने मृतक को दिए गए अन्य संविदात्मक कार्य और उसकी वार्षिक आय की गणना में मृतक के अन्य शोधन योग्यता प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं करने में गलती की;

एच.

(iii) यह मानते हुए भी कि उच्च न्यायालय वित्तीय वर्ष के लिए कर विवरणी में परिलक्षित आय को निर्धारक के रूप में लेना उचित मानता है, उच्च न्यायालय ने निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लागत का लेखा-जोखा नहीं रखने में गलती की है जो उसमें परिलक्षित हुई है; और (iv) उच्च न्यायालय को मृतक के व्यापार और शराब व्यवसाय से होने वाले कारोबार को ध्यान में रखते हुए उसकी मासिक आय 50,000 रुपये की गणना करनी चाहिए थी।

बी.

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दियाः

सी.

(i) उच्च न्यायालय को मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए उसके आयकर विवरणी की प्राथमिकता के अनुसार न्यायसंगत ठहराया जाता है;

((ख) इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अपीलार्थी को बैंकों के ऋण के निपटारे के लिए संपत्तियों की बिक्री के कारण नुकसान हुआ है।

डी.

((ग) स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को मृतक की आय में नहीं जोड़ा जा सकता है; और

((iv) उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ है और इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करता है।

ई.

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।

10. न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के आधार पर 36.76 एकड़ भूमि से उत्पन्न कृषि आय का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े।न्यायाधिकरण निर्णयों को लागू करके दो अलग-अलग आंकड़ों पर पहुंचा और दो राशियों के औसत पर कृषि आय निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा।न्यायाधिकरण ने कृषि भूमि से आय के आयकर विवरणी में स्पष्ट संकेत के बावजूद कृषि भूमि से आय के संभावित मूल्य को अधिरोपित कर दिया।न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई विधि कानून में टिकाऊ नहीं है।दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष 1997-1998 के लिए आयकर विवरणी में परिलक्षित आय के आधार पर कार्यवाही की है। वापसी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

एफ.

जी.

“घर की संपत्ति से आय-रु। 1, 920 व्यावसायिक लाभ (14. ख को छोड़कर)-रु। 1,21,071 शुद्ध कृषि आय-रु। 88, 140 "

एच.

कर विवरणी संबंधित निर्धारण वर्ष में रुपये 2,11,131 की वार्षिक आय को दर्शाती है। अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज ने तर्क दिया कि अन्य दस्तावेजों को चिह्नित किया गया था जो मृतक की आय को दर्शाते हैं।हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्धारण आयकर विवरणी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, जहां उपलब्ध हो। आयकर विवरणी एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए निर्भरता रखी जा सकती है।अपीलार्थीगण के लाभ के लिए, उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष 1997-1998 के लिए आयकर विवरणी के आधार पर कार्रवाई की है न कि 1999-2000 और 2000-2001 जो मृतक की वार्षिक आय में कमी को दर्शाता है।

बी.

सी.

11. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान नए मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया।

इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम योगेश देवी 2 का तर्क है कि यह न्यायालय

मृतक को होने वाली आय का यथोचित निर्धारण कर सकते हैं और कृषि भूमि के रखरखाव में होने वाले खर्चों की गणना भी कर सकते हैं।उस मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसे दावे पर विचार किया जिसमें "उपर्युक्त संपत्तियों से प्राप्त आय की राशि के बारे में कोई सबूत नहीं था।" मृतक की मासिक आय के संबंध में उपलब्ध एकमात्र सबूत दावेदार का बयान था।वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने मृतक के आयकर विवरण पर भरोसा किया है।इसके अलावा, न्यू इंडिया एस्योरेंस में न्यायालय ने राय दी कि हालांकि प्रबंधकों को नियुक्त करने के लिए भुगतान के कारण मृतक की संपत्ति से उपार्जित शुद्ध आय में कमी के लिए एक अदालत की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कमी की गणना करने के लिए सबूत पेश किए जाने चाहिए।न्यायालय ने कहाः

डी.

ई.

एफ.

"सामान्य तौर पर दावेदारों से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त कारकों के कारण उपर्युक्त संपत्ति से आय में कमी की मात्रा क्या होगी।"

वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में मृतक को उपार्जित शुद्ध आय में कमी की गणना में सहायता करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। न्यू इंडिया एस्योरेंस में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थीगण के मामले में मदद नहीं करता है।

जी.

2 (2012) 3 एससीसी 613 ए

एच.

1093

मालारविज़ी बनाम संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

12. तब श्री जयंत मुथ राज द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय को मृतक की वार्षिक आय, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लागत को 21,642,74,685 और 7701 रुपये की राशि में जोड़ना चाहिए जैसा कि निर्धारण वर्ष 1997-1998 के कर विवरणी में परिलक्षित होता है।हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।मूल्यह्रास वह कटौती है जिसकी अनुमति मूर्त या अमूर्त परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में उनके उपयोगी जीवनकाल में गिरावट के लिए दी जाती है।इसका मूल्य समय के साथ बदलता रहता है और एम. ए. सी. टी. के समक्ष दावे में वार्षिक आय की गणना के उद्देश्यों के लिए मूर्त आय के बराबर नहीं हो सकता है।

बी.

13. श्री जयंत मुथ राज ने तब मूल्यांकन वर्ष 1997-1998 के लिए पवई वाइन, शोलिंगुर की 31 मार्च 1997 की बैलेंस शीट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।तमिलनाडु सरकार को पूर्व-भुगतान लाइसेंस शुल्क के भुगतान के रूप में 1,04,987 रुपये की वार्षिक राशि दिखाई देती है।मामले की विषम परिस्थितियों में, इस राशि का अग्रिम भुगतान किया गया है और भविष्य की अवधि के लिए मृतक की वार्षिक आय में जोड़ा जाना है।इस प्रकार, मृतक की शुद्ध वार्षिक आय हैःरुपये 2,11,131 + 1,04,987 = रुपये 3,16,118।

सी.

डी.

14. अपीलार्थीगण को देय राशि का निर्धारण इस प्रकार हैः

(i) मृतक स्व-नियोजित था और दुर्घटना के समय उसकी आयु 49 वर्ष थी।राष्ट्रीय बीमा में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार

ई.

कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी 3,25 प्रतिशत

भविष्य की संभावनाओं के लिए वार्षिक आय को जोड़ा जाना है।25% रुपये का 3,16,118 = 79,029.5।वार्षिक आय, भविष्य की संभावनाओं के लिए लेखांकन, रुपये 3,16,118 + 79,029.5 = 3,95,147.5 है; और

एफ.

((ii) इस निर्णय के अनुच्छेद 30 के अनुसार

सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन मामले में अदालत

निगम 4, एक विवाहित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती जहां आश्रित चार से छह लोगों के बीच हैं, 1/5 वा 20 प्रतिशत है।20% 3, 95 रुपये में से, 147.5 = 79,029.5।शुद्ध वार्षिक आय 3,95 रुपये, 147.5-79,029.5 = 3,16,118 है।

जी.

3 (2017) 16 एससीसी 680 4 (2009) 6 एससीसी 121

एच.

सरला वर्मा मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार, जब मृतक की आयु 46 से 50 वर्ष के बीच हो तो लागू होने वाला गुणक 13 है।निर्भरता के नुकसान की गणना रुपये 3,16,118 X 13 = रुपये 41,09,534 पर की जाती है।प्रणय सेठी में इस अदालत के फैसले के अनुसार, अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के लिए क्रमशः 15,000,15,000 और 40,000 रुपये जोड़े जाने चाहिए।

बी.

15. इसलिए, अपीलार्थीगण निम्नलिखित शीर्षों के तहत मुआवजे के हकदार होंगेः

निर्भरता का नुकसान	रुपये 41,09,534
अंतिम संस्कार का खर्च	15, 000 रुपये
संपत्ति का नुकसान	15, 000 रुपये
संघ का नुकसान	40, 000 रु.
प्यार और स्नेह की कमी	50, 000 रुपये
	रुपये 42,29,534

सी.

डी.

16. इस प्रकार, अपीलार्थीगण को देय कुल मुआवजा रुपये 42,29,534 है, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख से अपीलार्थीगण को मुआवजे के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत

प्रति वर्ष ब्याज है।17. ऊपर बताए गए हद तक अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ई.

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

एफ.

जी.

एच.